उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः –' / xxvii(7)09(xxiii) / 2011
देहरादून, दिनांकः 11 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एंव तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आयु सीमा को हटाया जाना।

वेतन समिति की संस्तुति से राज्य सरकार के दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) में की गई व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु राजकीय कर्मचारी की मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को दिनांक 01–01–2006 से पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह माना गया था तथा शासनादेश संख्याः3–984 / दस–98–308 / 97 दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर–1 के बिन्दु 1 में अन्य शर्तो के अलावा विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुमन्य की गई है।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) अविवाहित पुत्रियों को भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अन्य शर्ते पूरी कर लिए जाने की शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए।

(ii) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सहमति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जाएगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक- पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहरायी जाती।

(iii) 25 वर्ष से बड़ी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी जबकि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निःशक्त संतान नहीं है।

3– उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 जुलाई,1998 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर,2008 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और उनके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेगें।

4– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त